UPST010056312026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर।

उपस्थित–नीरज कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code–UP2693)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–255/26

सरिता बनाम अंकित आदि

थाना–कादीपुर, जनपद सुलतानपुर।

आदेश पत्र

दिनांकः–01.07.2026

प्रार्थिनी सरिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थिनी का कथन है कि प्रार्थिनी साकिन ककना, थाना कोतवाली कादीपुर, जनपद सुलतानपुर की निवासी है। प्रार्थिनी अपनी लड़की अंकिता उम्र 14 वर्ष तथा पड़ोसी महाजन की लड़की नन्दनी को लेकर अपने मायके साकिन ममर–खा सराय रानी थाना कोतवाली कादीपुर, जनपद सुलतानपुर गयी थी। वहां पर उसी गांव के निवासी अंकित सुत बैजनाथ के द्वारा प्रार्थिनी की लड़की अंकिता को बहला फुसलाकर कुछ आपत्तिजनक फोटो मोबाइल में खींच लिया। उपरोक्त अंकित सुत बैजनाथ ने प्रार्थिनी की लड़की अंकिता को कई बार मोबाइल पर फोन करके अकेले में मिलने और शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये दबाव बनाता, प्रार्थिनी की लड़की जब ऐसा करने से इनकार करती तो उसकी फोटोज जो पहले से ही उसके द्वारा खींची गयी थी, शोसल मीडिया प्ले–टफार्म पर वायरल करने की धमकी देता। दिनांक 07.05.2026 को अंकित ने उसकी लड़की अंकिता के मोबाइल पर रात्रि 11:30 बजे फोन करके बुलाया तो प्रार्थिनी की लड़की ने आने से इनकार कर दिया तो अंकित ने कहा कि अभी दो घण्टे में तुम्हारी आपत्तिजनक फोटो पूरे शोसल मीडिया पर वायरल कर देंगे तो प्रार्थी की लड़की अंकिता बेइज्जत होने व शोसल मीडिया पर वायरल होने के भय के कारण अंकित के पास चली गयी तो वहां पर पहले से ही मौजूद अंकित सुत बैजनाथ व विजय सुत दिलीप व विपिन सुत नीमर निवासीगण उपरोक्त ने प्रार्थिनी की पुत्री के साथ भट्ठा के दक्षिण जबरदस्ती बार–बारी से बलात्कार किया, वहां से लौटकर आने पर प्रार्थिनी की लड़की ने रो–रो कर सारी बात बतायी। उक्त लोगों ने प्रार्थिनी को भी धमकी दिया कि यदि कोई कार्यवाही करेगी तो उसके ऊपर तेजाब फेंक देगा। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना स्थानीय थाना कोतवाली कादीपुर में दिया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने की दशा में प्रार्थिनी ने श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपर सुलतानपुर को जरिए रजिस्टर्ड डाक घटना की सूचना दिया, किन्तु अभी तक वहां से भी कोई कार्यवाही नही हुयी। प्रार्थिनी की पीड़ित पुत्री नावालिग है, जिसकी घटना के

सम्बन्ध में अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही हुयी, लिहाजा श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रस्तुत कर रही है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना पत्र, की छायाप्रतियां, रजिस्ट्री रसीद मूल संलग्न की गयी है।

4. थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार ऊभय पक्षो के मध्य दिनांक 09.05.2026 को समय शाम 16.00 बजे कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें आवेदिका के परिवारी जनो के द्वारा विपक्षी अंकित को मा–रापीटा, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर विपक्षी अं–कित कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर मु0 अ 0 सं0 155/2026 धारा 115 (2)/352/351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोप पत्र दिनांक 09.06.2026 को प्रेषित किया गया है। इसी बात से क्षुब्ध होकर आवेदिका द्वारा एक मनगढन्त झूठा प्रार्थना पत्र मात्र क्रास एफ.आई.आर लिखाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जांच से आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप असत्य व निराधार है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त अंकित द्वारा प्रार्थिनी के नाबा–लिग लड़की उम्र करीब 14 वर्ष को बहला फुसलाकर आपत्तिजनक फोटो मोबाइल में खींचा गया एवं आप–त्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ जबरद–स्ती बारी–बारी से बलात्कार किया गया। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त अंकित द्वारा आवेदक के परिवा–रीजन के के विरुद्ध कहासुनी को लेकर मुकदमा दर्ज कराया जाना बताते हुए आवेदक द्वारा क्रास एफ.आई–.आर. लिखाने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में अभियुक्तगण के विरुद्ध जबरदस्ती बारी–बारी से बलात्कार किए जाने का गम्भीर आरोप लगाया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किए गए कथनों से अभियुक्तगणों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी सरिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष कादीपुर, जिला सुलतानपुर को आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 12, सुलतानपुर ।
(J.O.Code–UP2693)

<u>दिनांक:–01.07.2026</u>

S.B.YADAV
(STENO)

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.07.01 17:09:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court